न्यायालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0—800/2026

मोहम्मद गुड्डु साह बनाम बिहार सरकार

राजापाकर थाना कांड सं0—102/2026

अधीन धारा—126, 115(2), 85, 76, 352, 351(3), 3(5) भारतीय न्याय संहिता।

04.06.2026

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनके द्वारा एक आवेदन दाखिल कर निवेदित किया गया कि अनुसंधानकर्ता द्वारा आवेदक को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा—35(1) का लाभ दिया गया है और उपरोक्त कांड में आवेदक के गिरफ्तारी की कोई आशंका नहीं है इसलिए आवेदक **मोहम्मद गुड्डु साह उम्र—31 वर्ष पेसर—मो0 सद्दीक साह** के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन प्रचालित नहीं करना चाहते हैं उसे वापस लेने की अनुमति दी जाय।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्कों से विद्वान लोक अभियोजक सहमत है। उभय पक्षों के तर्कों एवं उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन सं0—800/2026 वापस लिये जाने के आधार पर **खारिज** किया जाता है।

लेखापित

(हर्षित सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

Web Copy not Official